लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल

कंमाक स्था.3 / फाईल क्र 14 / टेबिल क्र C2 /interdistrict / 1131 — भोपाल दिनांक 06/06/2011

07/06/11

-: आदेश :-

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित विवरण के अनुसार स्वेच्छिक आधार पर समान सार्मथ्य एवं समान वेतनमान मे उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कालम क्र-5 मे उल्लेखित संस्था मे तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित किया जाता है। उक्त स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण संबन्धित को किसी प्रकार के यात्रा भत्ते आदि की पात्रता नही होगी

SNo	Unique ID	Employee	From	Transferred to District
1	2	3	4	5
1	BE9796	RASHMI PANDEY, Asstt Teacher(LDT)	23310722539, MS MLB (W-11) RANGAI, VIDISHA	BURHANPUR
2	AT4737	ANJLI SHRIVASTAVA, Asstt Teacher(LDT)	23340520102, GMS SANCHI, RAISEN	BHOPAL

1. उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवान जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी। ???.2....... संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें। ......?.3....... संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-र्त्ति परीक्षण कर लिया जाए कि संबांधत कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा हे। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय संवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि /विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध, कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें। ?????. 4....... जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगें। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगें। ....5......... स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने क निर्देष है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले मे पदस्थापना करते समय यह सुनिश्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जाये। ????..6.......... स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि पर उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

7/6

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृष्ठ कंमाक स्था.3 / फाईल क्र 14 / टेबिल क्र C2 /interdistrict / 1132 — भोपाल दिनांक 06/06/2011

07/06/11

1. Concerned Principal/Sankul Pracharya /
2. PS to Hon. Minister/State Minister (school education), Govt of Madhya Pradesh
3. प्रमुख सचिव,स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. भोपाल
4. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल
5. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर
6. संबंधित कलेक्टर जिला

7 संबधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला
8 Concerned Joint Director, School Education
9 संबधित जिला शिक्षा अधिकारी जिला
10 संबधित कोषालय अधिकारी
11 संबधित की और पालनार्थ।
12 आर्डर बुक

1. उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारी की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा। नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी। ???.2....... संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं। पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें। ......?.3....... संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-र्भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा हे। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावें यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटि /विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरूद्ध, कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो संबंधित कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें। ?????. 4....... जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख, स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगें। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगें। ....5......... स्थानांतरण नीति वर्ष 2010-11 की कंडिका-9.18 में ग्रामीण क्षेत्रों मे शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरण नहीं किए जाने क निर्देष है अतः जिला शिक्षा अधिकारी जिले मे पदस्थापना करते समय यह सुनिष्चित करें एवं कण्डिका 9.23 के अनुरूप किसी भी दशा में स्वीकृत पदों से अधिक पदस्थापना नहीं की जावे। ????..6.......... स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्त उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि पर उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उस अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक/स्थापना–3/सी–2/अ.जि.स्थां./14/2010/1133 भोपाल,दिनांक 7/06/2011

/ आदेश /

संचालनालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश **1131–1132 दिनांक 06.06.2011/07.06.2011** में श्रीमती रश्मिी पाण्डेय,सहायक शिक्षिका,माध्यमिक शाला एम.एल.बी.वार्ड क्रं.11 रंगाई जिला विदिशा से जिला–बुरहानपुर किया गया था। उक्त जारी स्थानांतरण आदेश में **संशोधन** करते हुये अब कॉलम क्रं. 5 में नवीन स्थानांतरित जिला "**बुरहानपुर**" के स्थान पर कॉलम क्रं.5 में जिला " **भोपाल** " पढ़ा जावें। स्थानांतरण आदेश की शेष शर्ते पूर्ववत लागू रहेगीं।

7/6
आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/स्थापना–3/सी–2/अ.जि.स्थां./14/2010/1134 भोपाल,दिनांक 7/06/2011

प्रतिलिपिः–

1/ निज सचिव,मान.मंत्री महोदया,स्कूल शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

2/ निज सचिव,मान.राज्यमंत्री,स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर टीप क्रमांक 744/रा.मं./स्कू.शि. दि.18.05.11 में प्रदत्त अनुमोदन के संदर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

3/ कलेक्टर जिला–विदिशा, बुरहानपुर एवं भोपाल ।

4/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत जिला– विदिशा, बुरहानपुर एवं भोपाल ।

5/ संयुक्त संचालक,संभागीय कार्यालय संभाग–भोपाल एवं इन्दौर ।

6/ जिला शिक्षा अधिकारी,जिला– विदिशा, बुरहानपुर एवं भोपाल ।

7/ श्रीमती रश्मिी पाण्डेय,सहायक शिक्षिका,माध्यमिक शाला एम.एल.बी.वार्ड क्रं.11 रंगाई जिला विदिशा ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
लोक शिक्षण,मध्यप्रदेश